रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1983/चैत्र 29, 1905
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1983/CHAITRA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1983

संकल्प

संख्या टी० 11012/3/83-सी० सी० डी० .—कुष्ठ रोग की रसायन चिकित्सा में हुई आधुनिक प्रगतियों, जन प्रचार-साधनों की विस्तृत पहुंच, हाल के चिकित्सा अनुसंधान से प्राप्त आश्वासनों और अन्य प्रासंगिक तत्वों का लाभ उठाते हुए अगले 20 वर्षों में कुष्ठ के उन्मूलन का एक कार्यक्रम चलाने के लिए कोई उपयुक्त कार्य नीति तैयार करने हेतु भारत सरकार ने 8 जुलाई, 1981 को संकल्प संख्या टी० 11022/25/81-सी० सी० डी० के द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया था ।

2. मार्च, 1982 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस कार्यकारी दल ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए एक समन्वित समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की है जिससे इस समस्या के रोग रोधक, उपचारात्मक और पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं और इसके मानवीय और समाजार्थिक आयामों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिल सकती है ।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के संयुक्त सम्मेलन ने 18 से 20 अगस्त, 1982 तक हुई अपनी बैठक में कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों की पुष्टि की है । सरकार इन पर विचार कर चुकी है और उसने यह निर्णय किया है कि :—

I मौजूदा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल कर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम रखा जाए ।

II राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग की स्थापना की गई है जिसका गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष— केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

सदस्य— केन्द्रीय वित्त मंत्री
केन्द्रीय योजना मंत्री
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री
केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री
राज्यों के पांच मुख्य मंत्री बारी बारी से (प्रधान मंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे) ।
देश में कुष्ठ रोग नियंत्रण और "सबके लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रमों में लगे आठ प्रतिष्ठित कुष्ठ विज्ञानी और सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य कार्यकर्ता (अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे ।

सचिव— सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (पदेन)

III 1. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग के कार्यकारी अंग के रूप में एक राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन बोर्ड गठित किया गया है जो इस प्रकार होगा :—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव —अध्यक्ष

(2) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) —सदस्य

(3) सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय —सदस्य
(4) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
(5) सचिव, योजना आयोग —सदस्य
(6) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग —सदस्य
(7) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक —सदस्य
(8) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् —सदस्य
(9) कार्यान्वयन, मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिए सदस्य —सदस्य (पूर्णकालिक)
(10) जनसहयोग, जन प्रचार साधनों के उपयोग और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सदस्य —सदस्य (पूर्णकालिक)
(11) अनुसंधान और विकास के लिए सदस्य (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् में संबंधित उप-महानिदेशक अनुसंधान और विकास के लिए अंश कालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे) —सदस्य (अंश कालिक)
(12) कुष्ठ रोग उन्मूलन के एकीकृत कार्यक्रम के निदेशक —सदस्य-सचिव (पदेन)

III 2. जहां तक कुष्ठ के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन तथा कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के बारे में कार्य संचालन नियमावली के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (इसके बाद उन्हें संबंधित मंत्रालय कहा जाएगा) को सौंपे गए कार्य क्षेत्रों का संबंध है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन बोर्ड की भी वही शक्तियां होंगी जो संबंधित मंत्रालयों को उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के लिए मिली हुई है ।

IV जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मंडल नहीं है उनमें कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 का निरसन करने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा । विधान-मंडल वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा ।

V जिन जिलों में कुष्ठ की स्थानिकमारी पांच या अधिक रोगी प्रति एक हजार है उनमें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को एक वर्टिकल कार्यक्रम के रूप में तब तक चलाया जाता रहेगा जब तक ऐसे जिलों में इस रोग की व्यापकता घटकर 2.5 प्रति एक हजार नहीं हो जाती ।

VI इस कार्य दल की अन्य सिफारिशों पर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन्हें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन आयोग के मार्गनिर्देशन में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन बोर्ड के तंत्र के जरिए लागू किया जायेगा । जो सिफारिशें वित्तीय प्रभाव से संबंधित हैं उन पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन बोर्ड आगे और विस्तारपूर्वक विचार करेगा । इसके बारे में राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन बोर्ड को योजनाएं मंजूर करने की शक्ति होगी, यदि वे संबंधित मंत्रालयों को प्रदान की गयी वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत होंगी । जहां कहीं ये योजनाएं मंत्रालयों/सरकार के विभागों को प्रदत्त शक्तियों के बाहर होंगी तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन बोर्ड आवश्यकतानुसार व्यय वित्त-समिति/मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा ।

VII योजना आयोग ने छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध कर दिया है ।

4. कुष्ठ रोग उन्मूलन "सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य" संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्य का एक भाग है । यह सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी शामिल है । सरकार को विश्वास है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन बोर्ड इस महान कार्य में लगे राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य सभी संबंधितों से मिलकर देश में कुष्ठरोग का इसी सदी के अंत तक उन्मूलन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही और उपाय करेगा ।

एस० एम० सिन्हू, सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 19th April, 1983

RESOLUTION

No. T. 11012/3/83-CCD:—The Government of India, on 8th July, 1981, vide Resolution No. T. 11022/25/81-CCD, constituted a Working Group to formulate an appropriate strategy for undertaking an eradication programme for leprosy in the next 20 years, taking advantage of the present day advances in the chemotherapy of leprosy, the extended reach of mass media, the promise of recent medical research and other relevant factors.

2. In its Report, submitted in March, 1982, the Working Group has recommended an integrated time-bound programme for leprosy eradication, which can help to achieve a synthesis between the preventive, curative and rehabilitative aspects of the problem and its human and socio-economic dimensions.

3. The recommendations made by the Working Group have been endorsed by the Joint Conference of the Centra Council of Health and Cetral Family Welfare Council at their meeting held from 18th to to 20th August 1982. These have since been considered by the Government and it has been decided that :

I. The existing National Leprosy Control Programme should be redesignated as the National Leprosy Eradication Programme (N.L.E.P.)

II. For the guidance and surveillance of the National Leprosy Eradication Programme, a National Leprosy Eradication Commission (NLEC) is set up consisting of the following:—

Chairman : Union Minister of Health and Family Welfare.

Members : Union Minister of Finance
Union Minister of Planning
Union Minister of Chemicals and Fertilizers.

Union Minister of State for Education and Social Welfare.

Five Chief Ministers of States in rotation (to be nominated by the Prime Minister).

Eight eminent Leprologists and and Social Workers and others engaged in leprosy control and 'Health for All' Programmes in the country. (to be nominated by the chairman)

Secretary : Secretary of Ministry of Health and Family Welfare (Ex-officio).

III (1) As the executive instrument of the National Leprosy Eradication Commission, a National Leprosy Eradication Board (NLEB) is set up consisting of the following:

1. Secretary for Health and Family Welfare —Chairman
2. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) —Member
3. Secretary, Ministry of Social Welfare —Member
4. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting —Member
5. Secretary, Planning Commission —Member
6. Secretary, Department of Rural Development —Member
7. Director General of Health Services —Member
8. Director General, Indian Council of Medical Research —Member
9. Member for Implementation, Monitoring and Evaluation —Member (whole-time)
10. Member for Public Participation, Mass Media Mobilisation and Health Education —Member (whole-time)
11. Member for Research and Development (Deputy Director General concerned in the Indian Council of Medical Research would function as a part-time member for Research and Development) —Member (part-time)
12. Director of Integrated Programme of Leprosy Eradication —Member-Secretary (Ex-Officio)

III. (2) In regard to the matters falling within the areas allotted under the Rules of Business to the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Social Welfare and Ministry of Information & Broadcasting (hereinafter called the relevant Ministries), in so far as the programme activities relating to the prevention, containment and eradication of leprosy and rehabilitation of leprosy patients are concerned, the National Leprosy Eradication Board would have the powers vested in the relevant Ministries in regard to the areas allotted to each of them.

IV. Central Legislation will be initiated to repeal the Lepers Act, 1898 in its application to the Union Territories without legislature. States and Union Territories with Legislatures will also be requested to take similar measures.

V. The National Leprosy Eradication Programme will be implemented as a vertical programme in districts with an endemicity of 5 or above per thousand, until the prevalence rate comes down to below 2.5 per thousand.

VI. Decisions taken by the Government on the other recommendations of the Working Group will be taken up for execution under the guidance of National Leprosy Eradication Commission and through the instrument of National Leprosy Eradication Board. National Leprosy Eradication Board would also further consider, in detail, such of the recommendations which have financial implications. In respect thereof, the National Leprosy Eradication Board will have the power to sanction the schemes, if they are within the financial powers delegated to the relevant Ministries. Wherever the schemes are such as exceed the powers delegated to a Ministry/Department of the Government, the National Leprosy Eradication Board will take the approval of the Expenditure Finance Committee/Cabinet as necessary.

VII. Additional resources required during the Sixth Plan period for the implementation of the National Leprosy Eradication Programme have been made available by the Planning Commission.

4. Eradication of Leprosy is part of the national goal of 'Health for All by the year 2000 A.D.'. It is in Government's 20 Point Programme. Government are confident that under the guidance of the National Leprosy Eradication Commission, the National Leprosy Eradication Board will, acting in concert with the State/Govts./UT Administrations, Voluntary Organisations and all others concerned with this great endeavour, take such initiatives and steps as are necessary to eradicate leprosy by the turn of the century.

S. S. SIDHU, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS. DELHI-110054, 1983